

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- शशिभद्र शर्मा RAS

उनवान

राजकुमार S/O राजकुमार कुमार बनाना नाम रामप्रसाद S/O विजयलाल कुमार
जि० शम्भुपुरा कडा

दावा बाबत.....
मुकदमा नम्बर :- 22/17 मुकदमे का प्रकार :-

निर्णय दिनांक :- 22/5/18
वादी की ओर से.....राजकुमार की व प्रतिवादी की ओर से.....रामप्रसाद

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22/5/18 को..... (नाम पीठासीन अधिकारी) शशिभद्र शर्मा RAS
के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

रामप्रसाद को शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस देना।

खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 22/5/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(शशिभद्र)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

(शशिभद्र)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
पीपलू जिला टोंक (राज.)